बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि०/स्था०17–07/2021 69 /पटना, दिनांकः– 27.2.23

कार्यालय आदेश

श्री शिवजी कुमार भट्ट, तत्कालीन अंचल अधिकारी, टेढ़ागाछ, किशनगंज संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधुबनी के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–333(15)/रा० दिनांक–08.06.2021 के साथ संलग्न जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज के पत्रांक–190/जि०रा० दिनांक–01.02.2021 द्वारा राजस्व कार्यों के निष्पादन में अभिरूचि नहीं लेने, खासकर ऑल लाईन दाखिल–खारिज मामले के निष्पादन में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने, समीक्षा के क्रम में 60 से अधिक दिनों से अकारण लंबित मामलों की संख्या 2014 पाये जाने जो जिले के सर्वाधिक लंबित मामले हैं, मामले को लंबित रखने के बारे में पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिये जाने, पूर्व के मासिक बैठकों में भी ऐसे सभी लंबित मामलों का अभियान के तौर पर निष्पादित करने हेतु निदेशित करने के बाद भी इसमें कोई अभिरूचि लेने एवं मामले को यथावत् लंबित रखने संबंधी आरोप पर समर्पित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–243 सहपठित ज्ञापांक–1302 दिनांक–13.10.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता(विभागीय जाँच),किशनगंज को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा जिला पदाधिकारी, किशनगंज से इस विषय के संबध में जानकारी रखने वाले पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। समाहर्त्ता, किशनगंज के आदेश ज्ञापांक–650/जि०रा० दिनांक–24.08.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, टेढ़ागाछ को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। समाहर्त्ता, किशनगंज के पत्रांक–36/जि०रा० दिनांक–12.01.2022 द्वारा जिला में अपर समाहर्त्ता(विभागीय जाँच) का पदस्थापन नहीं होने की सूचना देते हुए अपर समाहर्त्ता (राजस्व), किशनगंज को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–91 सहपठित ज्ञापांक–370 दिनांक–28.02.2022 के द्वारा अपर समाहर्त्ता (राजस्व), किशनगंज को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अपर समाहर्त्ता, किशनगंज –सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1165/जि०रा० दिनांक–06.07.2022 द्वारा श्री शिवजी कुमार भट्ट के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया मंतव्य निम्नवत् है :–

" आरोपी पदाधिकारी का यह अभिकथन है कि दिनांक–14.02.2020 की आयोजित बैठक में जिला पदाधिकारी के द्वारा समीक्षा के क्रम में दाखिल खारिज की प्रगति अंसतोषजनक पाये जाने पर

0444 स्था० 1 (का० आ०) (13 फरवरी, 2023).

इन्हें चेतावनी दी गयी थी तथा इसे इन्होंने गंभीरतापूर्वक लेते हुए माह फरवरी में 540 लंबित दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया। ऑन–लाईन पोर्टल से उक्त अवधि में इनके द्वारा निष्पादित कार्यो की पुष्टि होती है।

इनका यह कथन भी विचारणीय है कि श्री भट्ट, अंचल अधिकारी, टेढ़ागाछ के कार्यकाल में कोविड–19 संक्रमण का दौर रहा है और इस अवधि में अंचल अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी इस महामारी के बचाव कार्य में प्रतिनियुक्त रहे हैं। इस दौरान सभी सरकारी कार्य प्रायः ठप्प पड़ गये थे एवं इस अवधि में प्रगति नगण्य रही है।

श्री भट्ट ने अपने बचाव अभिकथन में यह भी बताया है कि वर्ष 2020 में कोविड –19 संक्रमण के कारण दाखिल–खारिज के बहुत से मामलों में ऑन–लाईन नोटिस तो हुआ, परन्तु संक्रमण के कारण सभी कार्य अवरूद्ध हो जाने से न तो रैयत उपस्थित हुए और न ही वांछित कागजातों के अभाव में वांछित संख्या में दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया जा सका। साथ ही उनका यह भी अभिकथन है कि दिनांक –03.07.2020 को हृदयाघात हो जाने के कारण वे गंभीर रूप से बीमार हो गये थे। उनके द्वारा अपने अभिकथन के साक्ष्य के रूप में चिकित्सकीय पुर्जा आदि संलग्न किया गया है। इनका यह कथन तथा संलग्न साक्ष्य सहानुभूतिपूर्वक विचारणीय है।

आरोपित अवधि में कोरोना संक्रमण काल तथा श्री शिवजी भट्ट के स्वयं के हृदयाघात की बीमारी के कारण ही इनके द्वारा वांछित संख्या में ऑन–लाईन दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन नहीं किया जा सका।''

श्री भट्ट के विरूद्ध गठित आरोप पत्र एवं उस पर संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में दिये गये तथ्यों के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री शिवजी कुमार भट्ट, तत्कालीन अंचल अधिकारी, टेढ़ागाछ, किशनगंज संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधुबनी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(संजय कुमार पंसारी)
निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०17–07/2021 / 430 /पटना, दिनांकः– 27.2.23

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज को उनके पत्रांक–190/जि०रा०दिनांक–01.02.2021 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

0444 स्था० 1 (का० आ०) (13 फरवरी, 2023).

4. जिला पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप निदेशक(सां०), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ को सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधुबनी/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री शिवजी कुमार भट्ट, तत्कालीन अंचल अधिकारी, टेढ़ागाछ, किशनगंज संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक